राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा(नगरीय क्षेत्र में रू0 25546/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/– आय सीमा तक) के नीचे जीवन–यापन करने वाले पारिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रू0 20000/– (रूपया बीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता एक मुश्त दिये जाने का प्राविधान है। सहायता राशि में रू0 10,000/– राज्य सरकार एवं रू0 10,000 केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2008–09 में 87118 परिवारों का लाभान्वित किया गया। इस योजनार्न्तगत वर्ष 2009–10 में रू0 7800.00 लाख का बजट प्राविधान है।